





2/ उपरोक्त स्थानांतरित राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त समयावधि के भीतर भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वमेव भारमुक्त माना जावेगा। स्थानांतरण पश्चात् नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3/ संबंधित जिला कलेक्टर का दायित्व होगा कि स्थानांतरित राजस्व निरीक्षकों को पदस्थापना स्थान के लिए तत्काल भारमुक्त करें तथा भारमुक्त आदेश की प्रति इस विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

4/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। समन्वय में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

### छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.के. भुआर्य)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 01-04 / 2024 / सात-3,  
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 13 / 09 / 2024

1. मान. मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर,
3. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर,
5. आयुक्त, भू-अभिलेख, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
6. संभागायुक्त, संभाग रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/दुर्ग/बस्तर(छ.ग.)
7. कलेक्टर, सर्व संबंधित जिला ..... कृपया स्थानांतरित राजस्व निरीक्षकों को नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल भारमुक्त कर पालन प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध करावें,
8. कोषालय अधिकारी, सर्व संबंधित जिला,
9. संबंधित अधिकारीगण श्री .....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. व्यक्तिगत नस्ती पटल सहायक/गार्ड फाईल।

अधर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग